रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003 REGISTERED No. DL—33001/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003 (चैत्र 22, 1925)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003 (CHAITRA 22, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.5 / सीएमडी / 2003

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2003

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30क एवं 31 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 11 के उप अनुच्छेद (1) को निम्नलिखित द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"1 (क) 27 मार्च, 2003 को एवं इसके बाद कोई भी आवास वित्त कंपनी ग्यारह प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर किसी सार्वजनिक निक्षेप को आमंत्रित, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी। जिन समय अंतरालों पर ब्याज का भुगतान अथवा संयोजन किया जा सकता है, वे अंतराल एक माह से कम अवधि के नहीं होने चाहिएं।

(ख) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी अभिकर्त्ता को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपों पर,

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि से दो प्रतिशत से अधिक की दलाली , कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी;

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों/बिलों के आधार पर, इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक राशि प्रतिपूर्ति के रुप में व्यय नहीं करेगी।

वी. श्रीधर

(वी. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

(Wholly owned by the Reserve Bank of India)

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

No. NHB.HFC.DIR.5/CMD/2003 New Delhi, the 27th March 2003

In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that sub-paragraph (1) of Paragraph 11 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect be substituted by the following, namely:-

"1(a) On and from 27th March, 2003, no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit at a rate of interest exceeding eleven per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.

(b) No housing finance company shall pay to any broker on public deposit collected by or through him,

(i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called in excess of two per cent of the deposit so collected;

(ii) expenses by way of reimbursement on the basis or relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5% of the deposit so collected."

V. Sridar

(V. Sridar)
Chairman and Managing Director